आरक्षण रोस्टर निर्धारण: मुख्य बिंदु

- ज़िला ऊना के पंचायत प्रधान पद, पंचायत समिति अध्यक्ष पद एवं ज़िला परिषद सदस्य पदों के लिए आरक्षण रोस्टर ज़ारी किया गया है |

- आरक्षण रोस्टर पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 24 सितम्बर 2020 एवं 07 दिसम्बर 2020 को ज़ारी गाइडलाइन्स एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियमवाली 1994 के अनुसार बनाया गया है और पारदर्शिता के लिए विभाग की गाइडलाइन्स की प्रति DC ऊना की वेबसाइट www.hpuna.nic.in पर डाल दी गई है |

- आरक्षण निम्न वर्गों के लिए किया जाना है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला |

- नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना (Census) के आंकड़ों का उपयोग किया जाना है और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 में किये गए सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किया गया है | यह विभाग की गाइडलाइन्स में निर्धारित है | जनगणना 2011 (Census) के आंकड़े https://censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html पर उपलब्ध हैं और हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 में किये गए सर्वेक्षण के आंकडें भी पारदर्शिता के लिए DC ऊना की वेबसाइट www.hpuna.nic.in पर डाल दिए गए हैं |

- 2010 और 2015 में किसी वर्ग के लिए आरक्षित रह चुके पद को इस बार उस वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा | यदि किसी वर्ग के लिए आरक्षण तय करते समय किसी सीट पर उसी वर्ग के लिए आरक्षण रिपीट होने की स्थिति आती है तो 2010 में उस वर्ग के लिए आरक्षित पदों को पहले चयनित किया जाएगा और उनके ख़त्म होने के बाद ही 2015 में उस वर्ग के लिए आरक्षित पद को चयनित किया जाएगा | पारदर्शिता के लिए 2010 और 2015 में निर्धारित आरक्षण रोस्टर को भी DC ऊना की वेबसाइट www.hpuna.nic.in पर डाल दिया गया है |

- प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीट आरक्षित की जाएंगी यह सम्बंधित विकास खंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा | उदहारण के लिए यदि किसी विकास खंड में 100 पंचायतें हैं और उस विकास खंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% है तो उस विकास खंड में 20 प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे |

- पंचायत समिति अध्यक्ष और ज़िला परिषदसदस्य के पदों के आरक्षण के लिए जिले के स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या देखी जाएगी |

- यदि किसी वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 5% से कम है तो उस वर्ग के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं होगा | अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत ज़िला ऊना के सभी विकास खण्डों में 5% से कम है इसलिए अनुसूचित जनजाति के लिए ज़िला ऊना में कोई प्रधान पद आरक्षित नहीं होगा |इसी प्रकार ज़िला स्तर पर भी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 5% से कम है इसलिए अनुसूचित जनजाति के लिए ज़िला ऊना में कोई पंचायत समिति अध्यक्ष या ज़िला परिषद सदस्य पद आरक्षित नहीं होगा |

- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 15% से अधिक नहीं किया जाएगा चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 15% से अधिक हो |

- कुल पदों में से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं | इसमें अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित पद सम्मिलित हैं |

- नियमों के हिसाब से आरक्षण करते समय सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित किए गए हैं | 2010 और 2015 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रह चुके पदों को छोड़कर अन्य सीटों को अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के घटते क्रम के आधार परअनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है |अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई हैं जिसमें अनुसूचित जाति महिलाओं की प्रतिशतता को आधार माना गया है |

- उसके बाद बचे पदों में से 2010 और 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रह चुके पदों को छोड़कर बाकी सीटों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते क्रम के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित किए गए हैं और उनमें सेभी 50% सीट अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर आरक्षित की गई हैं | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला की जनसंख्या के आंकड़े अलग से उपलब्ध न होने के कारण विभागीय गाइडलाइन्स के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता का उपयोग किया गया है |

- इसके बाद बचे पदों में से 2010 और 2015 मेंसामान्य महिला के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों में से कुल महिला जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते क्रम के आधार पर महिला के लिए सीट आरक्षित की गई हैं | उसके बाद बची हुई सीट अनारक्षित छोड़ी गई हैं |

- यह केवल मुख्य बिंदु है और विस्तृत प्रक्रिया के लिए विभागीय गाइडलाइन्स को देखा जाए | कोई भी इच्छुक व्यक्ति नियमों और आंकड़ों के आधार पर स्वयं अपने स्तर पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर को जांच सकता है |